24

Ad. 8
8/4/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction Case)

C.W.J.C. No._________ of 2013

Vijay Kumar .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others .... Respondents.

Sub: Salary Matter

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Petition with Affidavit	1 to 12
2.	Annexure-1: Photo copy of guideline, 2012	13-17
3.	Annexure-2: Photo copy of certificate	18
4.	Annexure-3: Copy of letter dated 10.08.11	19
5.	Annexure-4: Copy of letter dated 19.09.11....	20
6.	Annexure-5: Copy of the joining letter dated 21.09.2011	21
7.	Annexure-6: Copy of letter dated 22.09.12...	22
8.	Annexure-7: Copy of the Memo No. 08 dated 15.10.2012	23
9.	Annexure-8: Copy of the Memo No. 08 dated 15.10.2012	24
10.	Annexure-9: Copy of the representation dated 02.11.2012	25-26
11.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction Case)

C.W.J.C. No._________ of 2013

Vijay Kumar .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others .... Respondents.

SYNOPSIS

Prayer: The petitioner prays for following

RELIEFS:-

A) A certiorari setting aside the order containing in letter No.4 dated 22.9.2012 issued by the Respondent Mukhiya whereby and where-under the service of the petitioner as "PRERAK" under 'SHAKSHAR BHARAT MISSION, 2012' has illegally been terminated.

B) A Mandamus commanding and directing the Respondents concerned to reinstate the petitioner in service.

C) A Mandamus commanding and directing the Respondents to make payment of arrears of remuneration/honorarium including the current remuneration.

LIST OF DATE'S

16.10.2003: Petitioner has been issued certificate for taking part in Literacy Programme.

10.08.2011: Two post of 'PRERAK were created in Gram Panchayat Raiganj, one for unreserved and another for EBC.

19.09.2011: Petitioner was appointed on the post of 'PRERAK' against unreserved post.

21.09.2011: Pursuant to his appointment letter petitioner submitted his joining on the post and started discharging his duties.

22.09.2011: All of a sudden service of petitioner has been terminated by the Respondent Mukhiya on certain allegation.

15.10.2012: On protest raised by the petitioner the Respondent Mukhia appointed the petitioner on the post in question vide Memo No.08. But his joining was not accepted.

15.10.2012: The Respondent Mukhiya vide same Memo No.08 dated 15.10.2012 appointed on Mukesh Kumar Nirala.

02.11.2012: Petitioner filed representation stating all the relevant facts but no action is being taken towards the removal of grievance of the petitioner.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction Case)

C.W.J.C. No.________ of 2013

In the matter of an application Under Article 226 of the Constitution of India;

And

In the matter of

Vijay Kumar, son of Late Kuldip Poddar, resident of Rajganj, P.S.-Bihariganj, District-Madhepura.

.... Petitioner.

VERSUS

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna.
3. The District Magistrate, Madhepura.

4. The District Programme Officer (Literacy), Madhepura.
5. The Block Development Officer, Bihariganj, Madhepura.
6. The Mukhiya, Gram Panchayat, Rajganj, Block-Bihariganj, Madhepura.

.... Respondents.

To,

The **Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit**, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above-named;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the petitioner prays for following **RELIEFS**:-

A) A certiorari setting aside the order containing in letter No.4 dated 22.9.2012 issued by the Respondent Mukhiya whereby and where-under the service of the petitioner as "PRERAK" under 'SHAKSHAR BHARAT

MISSION, 2012' has illegally been terminated.

B) A Mandamus commanding and directing the Respondents concerned to reinstate the petitioner in service.

C) A Mandamus commanding and directing the Respondents to make payment of arrears of remuneration/honorarium including the current remuneration.

D) And/or any other relief or reliefs for which the petitioner is found entitled in the facts and circumstances of this case.

2. That the main points for consideration of this Hon'ble Court in the instant matter is as to whether the action of the Respondents concerned terminating the service of petitioner as 'PRERAK' under 'SHAKSHAR BHARAT MISSION, 2012' without any valid reason as also not making payment of his due remuneration, is illegal, improper, unjust, arbitrary, malafide against the guidelines of the Respondent State or not?

3. That the petitioner is citizen of India and belongs to territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That it is stated that the Respondent State launched a scheme known as 'SHAKSHAR BHARAT-2012' and in this regard a guideline was issued from the level of Respondent Principal Secretary, Department of Human Resources Development, Government of Bihar, Patna.

A photo copy of guideline, 2012 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

5. That it is stated that the petitioner has earlier taken part in Literacy Programme and in token thereof a certificate dated 16.10.2003 has been issued by the Respondent District Magistrate in favour of the petitioner.

A photo copy of certificate is annexed herewith and marked

as Annexure-2 to this writ petition.

6. That from perusal of Annexure-1 it would be evident that ~~for~~ the aforesaid scheme post of 'PRERAK' was created and priority was given for appointment ~~from~~ for the post of PRERAK to those persons who had earlier taken part in Literacy Scheme.

7. That from perusal of letter dated 10.08.2011 issued by the Pramukh Panchayat Samiti, Bihariganj it would be evident that two posts of 'PRERAK' were created in Gram Panchayat Raiganj, one unreserved and another for EBC.

A photo copy of letter dated 10.08.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

8. That it is stated hereby that step was taken by the Raiganj Gram Panchayat to fill up the aforesaid post of 'PRERAK'.

9. That thereafter the petitioner who had experience in taking part in Literacy Programme was appointed on the post of 'PRERAK' against unreserved post in accordance with law and in this regard office order vide memo No.02 dated 19.9.2011 was issued by the Respondent Mukhiya. One Kalpana Kumari was appointed against another post of 'PRERAK'.

A photo copy of letter dated 19.09.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

10. That thereafter the petitioner joined the post on 21.9.2011 and started discharging his duties.

A photo copy of joining letter dated 21.09.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

11. That all of a sudden the service of the petitioner has been terminated vide letter No.4 dated 22.9.2012

issued by the Respondent Mukhiya on certain allegation mentioned in the order itself.

A photo copy of letter dated 22.09.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

12. That from perusal of the order as contained in Annexure-6 it would be evident that on the basis of some complaint and enquiry the service of the petitioner has been terminated while neither any complaint was served on the petitioner nor any enquiry was held in his presence which is against the principle of natural justice.

13. That it is humbly submitted that before issuance of the impugned order as contained in Annexure-6 neither any show cause was asked from the petitioner nor any opportunity of hearing was given to him which is against the principle of natural Justice.

14. That it is humbly submitted that when the petitioner raised his grievance before the Respondent Mukhiya, the Respondent Mukhiya appointed him on the post in question vide office order containing in memo No.08 dated 15.10.2012.

A photo copy of memo No.08 dated 15.10.12 is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this writ petition.

15. That it is humbly submitted that in the light of aforesaid order as containing in Annexure-7, the joining of the petitioner is not being accepted and again vide the same Memo No.08 dated 15.10.2012 one Mukesh Kumar Nirala was appointed at the place of the petitioner.

A photo copy of Memo No.08 dated 15.10.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-8 to this writ petition.

16. That the bare perusal of the Annexure- 7 and 8 clearly indicates that forgery has been committed by the Respondent Mukhiya.

17. That the petitioner has represented his case before the Respondents on 2.11.2012 stating all the relevant facts therein but till date the grievance of the petitioner has not been removed.

A photo copy of the representation dated 2.11.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-9 to this writ petition.

18. That as per the guideline of the Respondent State the petitioner was given priority in the appointment on the basis of experience of taking part in Literacy Programme and as such termination of the petitioner on the ground of his selection on the basis of Literacy Certificate is contrary to materials available on the records.

19. That the impugned order is illegal, improper, unjust, arbitrary and against the principle of Natural Justice.

20. That the petitioner has got no other equally and speedy efficacious alternative remedy except to move before this Hon'ble Court for redressal of his genuine grievance.

21. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court on any earlier occasion for the relief sought for in paragraph No.1.

It is therefore, prayed that **Your Lordships** may graciously be pleased to issue Rule NISI asking the Respondents to show cause as to why the relief prayed for in para-1 of this writ petition be not allowed and on cause being shown, if any, and after hearing the parties be pleased to allow this writ petition granting reliefs prayed for in Paragraph No.1 and make the rule absolute.

And/or

Pass such other order/orders as Your Lordships may deem fit and proper on the facts and in the circumstances of this case.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Vijay Kumar, aged about 41 years, son of Late Kuldip Poddar, resident of Raiganj, P.S.-Bihariganj, District-Madhepura; do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in the instant case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements made in paragraph No..5,.9.to.11..14.17.20 and 21 are true to the knowledge and those made in paragraph Nos. 4.7,15........ are true to my information derived from the record of this case and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/typed copies of their respective originals.

विजय कुमार

साक्षर भारत – 2012
(दिशा निर्देश)

विभिन्न स्तरों की समितियों का गठन :– साक्षर भारत – 2012 के क्रियान्वयन के लिए जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर क्रमशः जिला लोक शिक्षा समिति, प्रखण्ड लोक शिक्षा समिति एवं पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

जिला स्तर :

- जिला लोक शिक्षा समिति

अध्यक्ष (1) : अध्यक्ष, जिला परिषद्

सदस्य (11) : उप विकास आयुक्त

: जिला पंचायती राज पदाधिकारी

: जिला परिषद् की शिक्षा समिति के अध्यक्ष

: निदेशक, जन शिक्षण संस्थान

: साक्षरता कार्यकर्त्ता (2)

: साक्षरता/शिक्षा में कार्यरत गैर सरकारी संगठन के सदस्य (1)

: स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य

: मुख्यालय के महाविद्यालय/जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान/प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/शिक्षाविद् (1)

: जिला शिक्षा पदाधिकारी

: जिला शिक्षा अधीक्षक

: जिला जन शिक्षा पदाधिकारी

सदस्य सचिव : सक्रिय एवं सक्षम साक्षरता कार्यकर्त्ताओं में से चयनित

(नोट : सदस्यों में पदेन सदस्य को छोड़कर शेष में 50% महिलाओं का होना आवश्यक होगा, सदस्य सचिव के रुप में मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना में बेहतर प्रदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करने वाले के० आर० पी० / साक्षरता कर्मी का चयन किया जायेगा। साक्षर भारत कार्यक्रम में जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर संविदा आधारित समन्वयक होंगे। चयन जिला स्तरीय चयन समिति, अध्यक्ष जिला परिषद् जिसके अध्यक्ष एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा जिला जन शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। साक्षर भारत कार्यक्रम में जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर संविदा पर समन्वयक होंगे। इन्ही चयनित समन्वयकों में से वरीय एवं अनुभवी समन्वयक जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर सदस्य सचिव होंगे। विस्तृत चर्चा पृष्ठ 3–4 पर संविदा आधारित नियुक्ति कॉलम में की गई है।)

- जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति

1.	जिला के प्रभारी माननीय मंत्री	अध्यक्ष
2.	जिला के सभी माननीय सांसद	सदस्य
3.	जिला के सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
4.	जिला के सभी माननीय पार्षद	सदस्य
5.	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
6.	उप विकास आयुक्त	सदस्य
7.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
8.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
9.	जिला जन शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
10.	जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
11.	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
12.	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य

प्रखण्ड स्तर :

- **प्रखण्ड लोक शिक्षा समिति (15 सदस्यीय)**

अध्यक्ष (1) : प्रमुख (पंचायत समिति, प्रखण्ड स्तर)

उपाध्यक्ष (1) : उप प्रमुख

सदस्य (13) : प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक (सदस्य सचिव)

: बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

: प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी

: पंचायत समिति की स्थायी समिति (शिक्षा) के सदस्य (1)

: साक्षरता कार्यकत्ता (2)

: साक्षरता/शिक्षा में कार्य करनेवाले गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (1)

: सामाजिक कार्यकर्ता (1)

: प्रखण्ड मुख्यालय के मध्य विद्यालय के प्रधान (1)

: स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य (1)

: राज्यस्तर से मनोनित के० आर० पी०, मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना

: प्रखण्ड मुख्यालय के उच्च विद्यालय/महाविद्यालय के प्रतिनिधि/ शिक्षाविद् (1)

: सक्रिय एवं सक्षम साक्षरता कार्यकर्त्ता (उसी प्रखण्ड का निवासी)

(नोट : सदस्यों में पदेन सदस्य को छोड़कर शेष में 50% महिलाओं का होना आवश्यक होगा)

पंचायत स्तर :

- पंचायत लोक शिक्षा समिति (15 सदस्यीय)

अध्यक्ष (1) : पंचायत के मुखिया

उपाध्यक्ष (1) : उप मुखिया

सदस्य (12) : पंचायत मुख्यालय के मध्यविद्यालय के प्रधान, पंचायत शिक्षा समिति के सदस्य, अनु० जाति, अनु० जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि, साक्षरता कर्मी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, SHG सदस्य, सेवा निवृत्त शिक्षक या कर्मचारी, शिक्षा विद्, रचनाकार या कलाकार।

सदस्य सचिव (1): वरीय प्रेरक

(नोट : सदस्यों में पदेन सदस्य को छोड़कर शेष में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा)

विभिन्न स्तरों पर संविदा आधारित नियुक्ति : साक्षर भारत — 2012 के संचालन के लिए जिला स्तर प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तरों पर संविदा आधारित समन्वयकों एवं प्रेरकों का चयन किया जायेगा। चयन में जिला में प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए अनुमोदित रोस्टर के समान रोस्टर का पालन किया जायेगा। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना एवं पूर्व के साक्षरता कार्यक्रमों में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। जिला स्तर पर चार समन्वयक चयनित होंगे। इसमें से वरीयतम साक्षरता के अनुभवी कार्यकर्ता के द्वारा सदस्य सचिव का कार्यभार सम्पादित किया जायेगा। प्रखण्ड स्तर पर दो समन्वयक होंगे। पूर्व में चालित मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के के०आर०पी० आवश्यकतानुसार एक–एक प्रखण्ड की साक्षरता की गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे। पंचायत स्तर पर पंचायत लोक शिक्षा समिति के साथ–साथ एक लोक शिक्षा केन्द्र होगा जिसमें संविदा आधारित दो प्रेरक कार्य करेंगे। सभी संविदा आधारित नियुक्तियाँ आवश्यकता नहीं रहने पर नियमानुसार 2012 मार्च या उसके पूर्व समाप्त की जा सकेगी। लोक शिक्षा केन्द्र पंचायत में होनवाली साक्षरता की सारी गतिविधियों का केन्द्र होगा एवं बहुआयामी रूप में कार्य करेगा। इसका कार्यालय पंचायत भवन के एक कमरे, सामुदायिक भवन, कोई सरकारी भवन या समुदाय के द्वारा तय किया हुआ कोई भवन जिसमें किराया देय नहीं होगा, में अवस्थित होगा।

जिला स्तर :

कर्मी का नाम एवं संख्या	योग्यता	मानदेय	नियुक्ति का दायित्व (चयन समिति)
मुख्य समन्वयक –1	स्नातक, जिला स्तर पर [illegible] अनुभव।	7500 प्रतिमाह	जिला परिषद् अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, [illegible] आई० टी० विशेषज्ञ (NIC), लेखा विशेषज्ञ (DRDA), जिला जन शिक्षा पदाधिकारी (सदस्य सचिव)
कार्यक्रम समन्वयक–1	स्नातक, जिला स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम का अनुभव।	5500 प्रतिमाह	
लेखा समन्वयक–1	बी० कॉम, लेखाकार्य का ज्ञान।	5500 प्रतिमाह	
[illegible] –1	कम्प्यूटर में डिप्लोमा या समकक्ष।	5500 प्रतिमाह	

16.

प्रखण्ड स्तर :

कार्यक्रम समन्वयक—1	इण्टर पास, प्रखण्ड स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम का अनुभव।	3000 प्रतिमाह	प्रखण्ड प्रमुख, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिक. लेखा विशेषज्ञ, के० आर० पी०, मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना—सदस्य सचिव
लेखा समन्वयक—1	आई० कॉम, लेखा कार्य का ज्ञान।	3000 प्रतिमाह	

पचायत स्तर :

प्रेरक —2	मैट्रिक स्तर की योग्यता, दो में से एक महिला अनिवार्य।	2000 प्रतिमाह	मुखिया, प्रखण्ड के साक्षरता प्रतिनिधि—के० आर० पी०, मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना, मुख्यालय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक / वरीय शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक)—सदस्य सचिव।

- **खाता का संचालन :** साक्षर भारत – 2012 में सारें राज्य में एक मुख्य खाता एवं नीचे की इकाईयों में सहायक खाता का संधारण किया जायेगा। किस मद में कितनी राशि की निकासी करनी है इसका ऑथोराइजेशन राज्य मुख्यालय द्वारा दिया जायेगा। खाता का संचालन वेब आधारित होगा।

जिला स्तर

1. जिला जन शिक्षा पदाधिकारी—सह—सदस्य, जिला लोक शिक्षा समिति।
2. सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति।
3. राशि की निकासी समिति के खाते से चेक द्वारा की जायेगी। 10,000/— (दस हजार) रुपये तक की स्वीकृति के लिए सदस्य सचिव एवं जिला जन शिक्षा पदाधिकारी प्राधिकृत हैं। इसकी निकासी जिला जन शिक्षा पदाधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। 10,000/— (दस हजार) रुपये से उपर की राशि की स्वीकृति उप विकास आयुक्त से ली जायेगी। इसकी निकासी जिला जन शिक्षा पदाधिकारी एवं सचिव संयुक्त रूप से करेंगे।

प्रखण्ड स्तर पर

1. प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक
2. प्रखण्ड मुख्यालय के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक।

पंचायत स्तर

1. मध्यविद्यालय के प्रधानाध्यापक (पंचायत मुख्यालय)/प्रभारी प्रधानाध्यापक
2. वरीय प्रेरक

- **सर्वेक्षण :** सारे राज्य में एक दिवसीय सर्वेक्षण एक ही तिथि में आयोजित किया जायेगा। सर्वेक्षण घर—घर जाकर किया जायेगा। सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र मुद्रण, सर्वेक्षण दल का गठन एवं अन्य तैयारियाँ सर्वेक्षण के पूर्व सुनिश्चित कर ली जायेगी। सर्वेक्षण के दौरान साक्षरता स्वयं सेवकों की भी पहचान की जायेगी।

17

- **प्रशिक्षण** — दो प्रकार के प्रशिक्षण आयोजन किये जायेंगे :— समन्वयकों एवं प्रेरकों का प्रशिक्षण एवं आर०पी०, एम०टी० एवं वी०टी० का प्रशिक्षण। ज़िला स्तर के समन्वयकों एवं आर०पी० का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर होगा। प्रखण्ड स्तर के समन्वयकों का प्रशिक्षण राज्य/जिला स्तर पर हो सकता है। एम०टी० का प्रशिक्षण जिला/प्रखण्ड एवं वी०टी० का प्रशिक्षण प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। पेचिंग–मैचिंग के दौरान वी०टी० एवं उनके केन्द्रों की पहचान एवं उनके प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी की जा सकती है।
- **शिक्षण अधिगम सामग्री** — शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण राज्य साधन केन्द्रों द्वारा किया जा चुका है, जिसकी आपूर्ति साक्षरता केन्द्र प्रारंभ होने के पूर्व पंचायतों तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- **साक्षरता केन्द्र संचालन** — साक्षरता केन्द्र पर 15+ आयु वर्ग की महिलायें एवं पुरूष होंगे। एक केन्द्र पर 10 शिशिक्षु होंगे। सामान्य परिस्थितयों में साक्षरता केन्द्र लगभग 250 घंटों के शिक्षण अधिगम का होगा जिसमें 200 घंटे शिक्षण के होंगे एवं 50 घंटे गाईडेड लर्निंग के होंगे। शिशिक्षुओं की उपलब्धि की जांच की जायेगी। सफल शिशिक्षुओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
- **दिशा निर्देश में संशोधन/परिवर्तन** : सरकार एवं विभाग का अधिकार होगा कि सभी निदेशों में परिवर्तन कर सकती है और संरचना, कार्यक्रम में आवश्यक सुधार कर सकती है।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार सरकार।

D:\Annpurnaraj\Saakshaar Bharat\Saakshar Bharat Disha Nirdesh

18

साक्षरता-सेनानी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/~~श्रीमती~~ बिजय कुमार

~~पिता/पति~~ श्री कुलदीप पोद्दार

पता ग्रा० - राजगंज पो० बिहारीगंज प्रखण्ड बिहारीगंज

जिला - मधेपुरा (बिहार) ने दिनांक 07.10.2003 से 15.10.2003 तक साक्षरता के प्रोत्साहन एवं निगरानी जत्था का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करने तथा साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें साक्षरता-सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

दिनांक 16.10.2003

गोविंद

(गोविन्द प्रसाद यादव)
सचिव

(एस०एम० शमीमुद्दीन अहमद [भा०प्र०से०])
जिला पदाधिकारी
सह
अध्यक्ष

जिला साक्षरता समिति, मधेपुरा

पत्रांक 3110-01, App-3 19

प्रेषक - प्रमुख
पंचायत समिति, प्रखण्ड, बिहारीगंज।

सेवा में,

मुखिया
ग्राम पंचायत, राजगंज

बिहारीगंज, दिनांक, 10 अगस्त 2011

विषय - साक्षर भारत 2012 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरकों के चयन हेतु रोस्टर एवं नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित कर सूचित किया जाता है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) मधेपुरा के पत्रांक 04 दिनांक 25 मार्च 2011 के आधार पर साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर एक पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र के लिए दो प्रेरकों का चयन किया जाना है, जिसमें एक महिला आवश्यक है, आपके पंचायत का रोस्टर विभाग द्वारा निम्न रूप से प्राप्त है।

(क) अनारक्षित (ख) अत्यन्त पिछड़ी वर्ग

पंचायत रोस्टर निर्माण एवं चयन समिति के सदस्य

1. मुखिया
2. साक्षरता प्रतिनिधि - के० आर० पी० मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना
3. मध्य विद्यालय के प्र० अ० / वरीय शिक्षक (प्र०अ०का०) अध्यक्ष/सचिव

दिनांक 14.08.11 तक आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

विश्वासभाजन
[signature]
10/8/2011
प्रखण्ड प्रमुख
बिहारीगंज

प्रखण्ड प्रमुख
प्रखण्ड-बिहारीगंज मधेपुरा

[signature]
10.8.11
प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
बिहारीगंज

[illegible]

A-4

Ann-4 20

कार्यालय-आदेश

प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग.बिहार सरकार पटना के पत्रांक 402 दिनांक 02.03.2011 के आदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) मधेपुरा के पत्रांक 01 दिनांक 14.08.2011 के आलोक में रोस्टर का पालन करते हुए साक्षर भारत मिशन 2011-12 के सफल संचालन के लिए दो प्रेरकों का नियोजन किया जाता है।

क्र0सं0	प्रेरक का नाम	पिता/पति का नाम	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्तांक	प्रतिशत	पंचायत	पुर्व अनुभव
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कल्पना कुमारी	श्री सत्यनारायण पासवान	इन्टर	529	58.77	राजगंज	अक्षर आँचल
2	विजय कुमार	श्री कुलदीप पौदार	बी0 ए0 (आनर्स)	790	52.66	राजगंज	साक्षरता

प्रेरकों को निर्देश दिया जाता है। विभागीय नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाऐगा । तीन दिनो के अन्दर अपना योगदान देना सुनिश्चित करें ।

मुखिया
19/9/011
मुखिया ग्राम पंचायत-राजगंज
ग्राम पंचायत राजगंज (मधेपुरा)

ज्ञापांक 02 / राजगंज दिनांक 19/9/11

प्रितिलिपिः- संबंधित प्रेरक राजगंज प्रखण्ड प्रमुख,बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं प्रेषित ।

ह0
मुखिया
ग्राम पं0 राजगंज

ज्ञापांक 02 / राजगंज दिनांक 19/9/011 /

प्रतिलिपी :- प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक बिहारीगंज/ प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक साक्षरता) मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित ।

मुखिया
ग्राम पंचायत-राजगंज
मुखिया
प्रखण्ड-बिहारीगंज (मधेपुरा)
ग्राम पं0 राजगंज

A-5 अनु — 5 21

सेवा में

श्री मान प्रभारी प्रधानाध्यापिका महोदया
उ० मा० विद्यालय रामगंज बिहारीगंज (मधेपुरा)

विषय- योगदान के संबंध में

महाशया- निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विजय कुमार पिता कुलदीप पोद्दार पंचायत रामगंज से मेरा नियुक्ति पंचायत प्रेरक साक्षरता शिक्षक पद के लिए किया गया है। पत्रांक- 02 दिनांक- 20/9/2011

अतः श्री मान प्रभारी से निवेदन है कि मेरा योगदान दिनांक 21/9/2011 पूर्वाह्न में योगदान लेने की कृपा की जाए इसके लिए श्री मान का सदा आभारी बना रहूंगा।

आपका विश्वास भाजन

नाम- विजय कुमार
ग्राम- रामगंज
पो०- बिहारीगंज
पद- प्रेरक
जिला- मधेपुरा

स्वीकृत [illegible]
[illegible]
उ०मा०वि० रामगंज
21/09/2011

A-6 Ann. 6 22

मो0 9973049346

मुखिया
चन्दा देवी

ग्राम पंचायत राजगंज
प्रखण्ड बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा (बिहार)

पत्रांक 4 दिनांक 22.09.012

सेवा में, श्री विजय कुमार, पिता - श्री कुलदीप पोद्दार
ग्राम - राजगंज, प्रखण्ड - बिहारीगंज, जिला - मधेपुरा
विषय :- साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत प्रेरक चयन के संबंध में।

महाशय, आपका चयन साक्षर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत प्रेरक पद पर अनारक्षित (सामान्य) जाति के कोटि पर किया था। आरोप पत्र प्राप्त होने पर जाँच के क्रम में मेधा सूची के अवलोकनोपरांत दूसरे अभ्यर्थी का अंक ज्यादा है। आपको साक्षरता प्रमाण पत्र रहने के कारण चयन किया गया था, परन्तु अंक कम रहने के कारण आपका चयन प्रेरक पद पर से रद्द किया जाता है।

एक प्रति पाया
विजय कुमार

cha
मुखिया
ग्राम-पंचायत-राजगंज
प्रखण्ड-बिहारीगंज (मधेपुरा)

ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति राजगंज (मधेपुरा)

23

कार्यालय-आदेश

प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग,बिहार सरकार पटना के पत्रांक 402 दिनांक 02.03.2011 के आदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) मधेपुरा के पत्रांक 01 दिनांक 14.08.2011 के आलोक में रोस्टर का पालन करते हुए साक्षर भारत मिशन 2011--12 के सफल संचालन के लिए प्रोरकों का नियोजन किया जाता है।

क0सं0	प्रेरक का नाम	पिता / पति का नाम	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्तांक	प्रतिशत	पंचायत	पुर्व अनुभव
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय कुमार	श्री कुलदीप पोद्दार	B.A.(Hons)	790	52.66	राजगंज	साक्षरता [illegible]
2	प्रियंका भारती	संतोष मालाकार	इन्टर	323	64.6	राजगंज	

प्रेरकों को निर्देश दिया जाता है। विभागीय नियमानुसार,मानदेय का भुगतान किया जाऐगा । तीन दिन के अन्दर अपना योगदान देना सुनिश्चित करें ।

15/10/012
मुखिया
ग्राम पंचायत राजगंज
मुखिया
ग्राम-पंचायत-राजगंज

ज्ञापांक 08 / राजगंज दिनांक 15.10.2012 /

प्रितिलिपि:-- संबंधित प्रेरक राजगंज प्रखण्ड प्रमुख,बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं प्रखण्ड-बिहारीगंज (मधेपुरा)

ह0
मुखिया
ग्राम पं0 राजगंज

ज्ञापांक 08 / राजगंज दिनांक 15.10.2012 /

प्रतिलिपी :-- प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक बिहारीगंज / प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक साक्षरता) मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित ।

15/10/012
मुखिया
ग्राम पं0 राजगंज
मुखिया
ग्राम-पंचायत-राजगंज
प्रखण्ड-बिहारीगंज (मधेपुरा)

25

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय,

मधेपुरा।

विषय :- ग्राम पंचायत, राजगंज में आवेदक की नियुक्ति वरीय प्रेरक के पद पर होने के बावजूद भी योगदान नहीं लेने के संबंध में

महाशय,

सेवा में सादर विनम्र निवेदन है कि आवेदक ग्राम पंचायत राजगंज के स्थायी निवासी हैं इन्हें साक्षरता अभियान में कार्यरत रहने का भी, प्रमाण पत्र था इसी आधार पर आवेदक की नियुक्ति अनारक्षित कोटि में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेरक के पद पर किया गया था। आवेदक के साथ वरीय प्रेरक कल्पना कुमारी, की नियुक्ति भी वरीय प्रेरक के रूप में की गई थी। चूँकि कल्पना कुमारी दूसरी गाँव की रहने वाली है तथा अन्य कारणों से कल्पना कुमारी की नियुक्ति रद्द कर दी गयी वो साथ हीं आवेदक की भी नियुक्ति उसी पत्रांक के द्वारा रद्द कर दी गई है।

यह कि पुनः वरीय प्रेरक की पद पर आवेदक की नियुक्ति दिनांक 15.10.2012 पत्रांक 8 के द्वारा राजगंज ग्राम पंचायत के कार्यरत मुखिया के द्वारा किया गया वो उस आशय का पत्रांक भी निर्गत किया गया।

यह कि उक्त पत्रांक 8, दिनांक- 15.10.12 के पालन में आवेदक अपना योगदान दिनांक 29.10.12 को, प्रभारी प्रध्यापिका, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामगंज को दिए, लेकिन प्रधानाध्यापिक आवेदक का योगदान लेने से इंकार चली गयी।

2629

यह कि आवेदक पिछड़ी जाति के पौधार वर्ग से आते हैं वो आवेदक एक पढ़ा-लिखा बेरोजगार व्यक्ति है तथा आवेदक को जिला-साक्षरता समिति से एक योग्यता प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है जिस आधार पर आवेदक की नियुक्ति वरीय प्रेरक के रूपमें ग्राम पंचायत राजगंज में की गयी। उस आशय का पत्रांक भी आवेदक को भेजी गयी, लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापिका गलत रूपसे आवेदक की नियुक्ति स्वीकार नहीं किए वो आवेदक को वापस लौटा दिए।

अतएव निवेदन है कि आवेदक को इनके नाम से निर्गत नियुक्ति पत्र पत्रांक 8, दिनांक 15·10·12 के आधार पर, प्रभारी-प्रधानाध्यापिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजगंज को निर्देश, आदेश देने की असीम अनुकम्पा की जाए कि इसके लिए आवेदक श्रीमान का सदा आभारी रहेगा।

आपका विश्वासभाजक·

नाम- विजय कुमार
पिता का नाम- स्व० कुलदीप पोद्दार
ग्राम - राजगंज
पोस्ट- बिहारीगंज
थाना- बिहारीगंज
जिला- मधेपुरा

दिनांक-02·11·2012

प्रतिलिपि:-

1. जिला पदाधिकारी मधेपुरा
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी "
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहारीगंज
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, "
6. जिला लोक शिक्षा समिति मधेपुरा